



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230048
CG-DL-E-29092021-230048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3694]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/ आश्विन 7, 1943

No. 3694]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

का.आ. 4028(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के रामबाण जिले में NH44 के कि.मी. 130 से कि.मी.151 (डेपडूट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स मैत्रा यूपी कमिश्नर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के रामबाण जिले में NH44 के कि.मी. 130 से कि.मी.151 (डेपडूट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स मैत्रा यूपी कमिश्नर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: रामबाण		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रामबन					
गांव का नाम: डलवास डैनो (डलवास)					
1	1009	सरकारी	गै.मु. जंगल	0.0961000 (हेक्टेयर)	0.0961000
2	1012	निजी	गै.मु. जंगल	0.0464000(हेक्टेयर)	0.0464000
3	805	सरकारी	गै.मु. सड़क	0.0915000(हेक्टेयर)	0.0915000
4	915	सरकारी	गै.मु. झाड़ (जंगल)	0.0451000(हेक्टेयर)	0.0451000
5	960	निजी	गै.मु. झाड़	0.0849000(हेक्टेयर)	0.0849000
6	961	निजी	गै.मु. दुकान	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
7	962	निजी	बंजर कदीम	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
8	963	निजी	गै.मु. झाड़	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
9	964	निजी	गै.मु. शैड	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
10	965	निजी	गै.मु. झाड़	0.1745000(हेक्टेयर)	0.1745000
11	966	निजी	गै.मु. झाड़	0.2605000(हेक्टेयर)	0.2605000
12	970	निजी	बंजर कदीम, गै.मु. झाड़, गै.मु. रोहरड	0.4648000(हेक्टेयर)	0.4648000
13	975	सरकारी	गै.मु. जंगल (फोरेस्ट)	1.6040000(हेक्टेयर)	1.6040000
14	977	सरकारी	गै.मु. जंगल (फोरेस्ट)	0.6297000(हेक्टेयर)	0.6297000
15	979	सरकारी	गै.मु. जंगल (फोरेस्ट)	0.2292000(हेक्टेयर)	0.2292000
16	981	निजी	वहराल मंडी, गै.मु. झाड़	0.7664000(हेक्टेयर)	0.7664000
17	984	निजी	वहराल चांगी, गै.मु. कोठा, गै.मु. दुकान	0.0145000(हेक्टेयर)	0.0145000
गांव का नाम: नेरा					
1	173	सरकारी	गै.मु. नाला (जंगल)	0.1087000(हेक्टेयर)	0.1087000
गांव का नाम: रामबन					
1	820	सरकारी	गै.मु. नाला	0.0833000(हेक्टेयर)	0.0833000

2	822	सरकारी	गै.मु. झाड़	0.1155000(हेक्टेयर)	0.1155000
3	823	सरकारी	गै.मु. झाड़	0.1426000(हेक्टेयर)	0.1426000
4	872	निजी	गै.मु. मकान	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
कुल				5.0259	5.0259

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2019/11001/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2021

S.O. 4028(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH44 in the stretch of land from Km 130 to Km.151 (Deputy Commissioner, District Administrative Complex Maitra) in the district of RAMBAN in the state of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH44 in the stretch of land from Km. 130 to Km. 151 (Deputy Commissioner, District Administrative Complex Maitra) in the district of RAMBAN in the state of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: RAMBAN		
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ramban					
Village: Dhalwas Dhaino (Dhalwas)					
1	1009	Government	G.M. Forest	0.0961000(Hectare)	0.0961000

2	1012	Private	G.M. Jungle	0.0464000(Hectare)	0.0464000
3	805	Government	G.M. Sadak	0.0915000(Hectare)	0.0915000
4	915	Government	G.M. Jhad (Forest)	0.0451000(Hectare)	0.0451000
5	960	Private	G.M. Jhad	0.0849000(Hectare)	0.0849000
6	961	Private	G.M. Dukan	0.0126000(Hectare)	0.0126000
7	962	Private	Banjar Kadeem	0.0126000(Hectare)	0.0126000
8	963	Private	G.M. Jhad	0.0202000(Hectare)	0.0202000
9	964	Private	G.M. Shed	0.0051000(Hectare)	0.0051000
10	965	Private	G.M. Jhad	0.1745000(Hectare)	0.1745000
11	966	Private	G.M. Jhad	0.2605000(Hectare)	0.2605000
12	970	Private	Banjar Kadeem, G.M. Jhad, G.M. Rohard	0.4648000(Hectare)	0.4648000
13	975	Government	G.M. Jungle (Forest)	1.6040000(Hectare)	1.6040000
14	977	Government	G.M. Jungle (Forest)	0.6297000(Hectare)	0.6297000
15	979	Government	G.M. Jungle (Forest)	0.2292000(Hectare)	0.2292000
16	981	Private	Whral Mandi, G.M. Jhad	0.7664000(Hectare)	0.7664000
17	984	Private	Whral Changi, G.M. Kotha, G.M. Dukan	0.0145000(Hectare)	0.0145000
Village: Nera					
1	173	Government	G.M. Nala (Forest)	0.1087000(Hectare)	0.1087000
Village: Ramban					
1	820	Government	G.M. Nala	0.0833000(Hectare)	0.0833000
2	822	Government	G.M. Jhad	0.1155000(Hectare)	0.1155000
3	823	Government	G.M. Jhad	0.1426000(Hectare)	0.1426000
4	872	Private	G.M. Makan	0.0177000(Hectare)	0.0177000
Total				5.0259	5.0259

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2019/11001/3A]

RAJESH GUPTA, Director